



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032021-225822
CG-DL-E-11032021-225822

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]
No. 96]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 11, 2021/फाल्गुन 20, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11, 2021/PHALGUNA 20, 1942

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप- धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद् द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,-

सारणी में,-

- उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में, हरियाणा के नीचे क्रम संख्या 16 के पश्चात संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"17	यूरेका एनालिटिकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण सं. 65 / एन / एफएसएसएआई / 2021 31 माइलस्टोन, मेन जी टी रोड, कुण्डली, सोनीपत हरियाणा	रासायनिक एवं जैविक "।

2. पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित 'ख' में, महाराष्ट्र के नीचे क्रम संख्या 29 के पश्चात संबंधित कॉलमो मे निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"30	प्रो कॉम लेबोरेटरी, पंजीकरण सं. 55 / डब्लू / एफएसएसएआई / 2021 नेशनल बल्क हैंडलिंग कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड प्रथम तल, जेड ब्लॉक, मार्केट III, सेक्टर 198, फेज II, वाशी, नवी मुंबई, ठाणे, महाराष्ट्र	रासायनिक एवं जैविक"।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./531/2020-21]

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन की गई:-

- (i) का.आ. संख्या 567 (ई), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
- (ii) का.आ. संख्या 1595 (ई), दिनांक 15 मई, 2017;
- (iii) का.आ. संख्या 1965 (ई), दिनांक 20 जून, 2017;
- (iv) का.आ. संख्या 2316 (ई), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
- (v) का.आ. संख्या 3068 (ई), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
- (vi) का.आ. संख्या 3279 (ई), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
- (vii) का.आ. संख्या 4083 (ई), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
- (viii) का.आ. संख्या 848 (ई), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
- (ix) का.आ. संख्या 1516 (ई), दिनांक 28 मार्च, 2018;
- (x) का.आ. संख्या 2426 (ई), दिनांक 13 जून, 2018;
- (xi) का.आ. संख्या 6207 (ई), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018;
- (xii) का.आ. संख्या 1377 (ई), दिनांक 8 मार्च, 2019;
- (xiii) का.आ. संख्या 1722 (ई), दिनांक 8 मई, 2019;
- (xiv) का.आ. संख्या 2842 (ई), दिनांक 6 अगस्त, 2019;
- (xv) का.आ. संख्या 3428 (ई), दिनांक 18 सितम्बर, 2019;
- (xvi) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 फरवरी, 2020 और
- (xvii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 जुलाई, 2020
- (xviii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 4 दिसम्बर, 2020
- (XIX) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 12 जनवरी, 2021 और
- (XX) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए(भाग 3, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 फरवरी, 2021।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th March, 2021

F. No. 12012/01/2019-QA.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely:-

In the table,

1. in 'A' related to NORTHERN REGION, under *Haryana* after serial number 16, the following entries shall be inserted in respective columns namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"17	Eureka Analytical Services Pvt. Ltd., Reg. No. 65/N/FSSAI/2021 31 st Milestone, Main GT Road, Kundli, Sonipat, Haryana	Chemical and Biological"

2. in 'B' related to WESTERN REGION, under *Maharashtra* after serial number 29, the following entries shall be inserted in respective columns namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"30	ProComm Laboratory, Reg. No. 55/W/FSSAI/2021 National Bulk Handling Corporation Pvt. Ltd., 1 st Floor, Z Block, Market III, Sector 198, Phase II, Vashi, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra	Chemical and Biological"

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./531/2020-21]

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:-

- i. S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017,
- ii. S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017,
- iii. S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017,
- iv. S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017,
- v. S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017,
- vi. S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017,
- vii. S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017,
- viii. S.O. number 848(E) dated the 19th Feb, 2018,
- ix. S.O. number 1516 (E) dated 28th March, 2018,
- x. S.O. number 2426(E) dated 13th June, 2018,
- xi. S.O. number 6207 (E) dated 12th December, 2018,
- xii. S.O. number 1377(E) dated 8th March, 2019,

- xiii. S.O. number 1722 (E) dated 8th May, 2019
- xiv. S.O. number 2842 (E) dated 6th August, 2019
- xv. S.O. number 3428 (E) dated 18th September, 2019
- xvi. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 13th February, 2020
- xvii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 23rd July, 2020,
- xviii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 4th December, 2020,
- xix. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 12th January, 2021
and
- xx. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 10th February, 2021